

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल

आज अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादी की हाजिरी बहुत दिनों से नहीं दी गई है। अभिलेख बहुत पुराना हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में वाद का निष्पादन करते हुए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार में इस शर्त पर जमा करें कि अभिलेख को नष्ट नहीं करेंगे तथा जब भी आवश्यकता होगी अभिलेख को न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-

लेखापित
मु० न्या० द०,
अरवल।